उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-176/2021/854/तेईस-14-2021-02आ0जि0यो0/2019
लखनऊ: दिनांक- 22 जुलाई, 2021

संशोधन-आदेश

मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-150नि0/126-01नि0/20-21, दिनांक 19.06.2021 द्वारा जिला योजना अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-ललितपुर हेतु प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-07/2020/65/23-14-2020-02आ0जि0यो0/2019, दिनांक 06.02.2020 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-19 द्वारा जनपद-ललितपुर की निम्नलिखित एक परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 126.24 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 50.15 लाख अवमुक्त की गयी थी:-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/जनपद-ललितपुर	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	**गिरार-कारीटोन मार्ग के चैनेज 11.600 से 13.300 तक अवशेष भाग का निर्माण कार्य ।**	1.90	126.24	50.15

2- प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-150नि0/126-01नि0/20-21, दिनांक 19.06.2021 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित दिनांक 06.02.2020 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-19 पर उल्लिखित परियोजना का नाम निम्नवत् संशोधित किया जाता है-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/जनपद-ललितपुर	लम्बाई (कि0मी0)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	**गिरार-कारीटोन मार्ग के चैनेज 11.400 से 13.300 तक अवशेष भाग का निर्माण कार्य ।**	1.90	126.24	50.15

3- उक्त शासनादेश संख्या-07/2020/65/23-14-2020-02आ0जि0यो0/2019, दिनांक 06.02.2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश संख्या-07/2020/65/23-14-2020-02आ0जि0यो0/2019, दिनांक 06.02.2020 की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-176/2021/854(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।

3- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल ।

4- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद के अनुसार। ।

5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्य मंत्री व मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.11.2019, 25.11.2019 एवं 26.11.2019 (06 पत्र) के संदर्भ में ।

8- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।

9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।